प्रेस नोट
दिनांक 07.11.2024

आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त जनशिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में गोण्डा पुलिस ने प्रदेश में लगातार दूसरी बार प्राप्त किया प्रथम स्थान–

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा वर्चुअल माध्यम से गोष्ठी कर सभी क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारियों को जनसुनवाई तथा आई0जी0आर0एस0 से प्राप्त प्रर्थाना पत्रों के संबंध में दिए गए आवश्यक दिशा निर्देशः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के नेतृत्व में आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त जनशिकायती प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने पर मुख्यमंत्री कार्यालय लोकभवन द्वारा जारी रैंकिंग में जनपद "गोण्डा पुलिस को उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान" प्राप्त हुआ है। महोदय द्वारा वर्चुअल मीटिंग कर जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों के कार्यों की सराहना की गई तथा इसी प्रकार आगे भी जनशिकायती प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

महोदय द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा प्रतिमाह शासन द्वारा की जाती है। समीक्षा/फीडबैक के आधार पर ही शासन द्वारा सभी जिलों की रैकिंग जारी की जाती है। शासन द्वारा आम लोगों की शिकायतों के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई थी। सभी प्रकार के शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की एक समय सीमा निर्धारित होती है। समय सीमा के बाद भी अगर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं होता है तो वह डिफाल्टर की श्रेणी में आ जाता है। शिकायतों के त्वरित और बेहतर निस्तारण पर जनपदों की रैंकिंग निर्धारित की जाती है। महोदय द्वारा आईजीआरएस सेल प्रभारी निरीक्षक राजेश चौधरी व उनकी टीम को भविष्य में इसी प्रकार मेहनत और लगन से कार्य कर जनशिकायतों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु उत्साहवर्धन किया गया।

शिकायतों के निस्तारण कराने वाली आईजीआरएस टीम का विवरण–

01. आईजीआरएस प्रभारी निरीक्षक राजेश चौधरी
02. का० विवेक कुमार सिंह
03. म०का० नम्रता कुशवाहा
04. म०का० शिखा वर्मा
05. म०का० नैन्सी गुप्ता
06. म०का० प्रीति देवी

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 07.11.2024

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–293/24, धारा 303(2) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 02 अभियुक्तों–01. रमेश मिश्रा पुत्र पवन मिश्रा नि0 ग्राम धर्मेई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा, 02. मो0 शरीफ पुत्र फते मोहम्मद नि0 ग्राम माफी मलारी सालपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 07 अदद सरिया बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 01.11.2024 को वादी अतीकुर्रहमान पुत्र चांदे ग्राम बैजपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा द्वारा थाना धानेपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उसके अलावल देवरिया स्थित निर्माणाधीन मकान से अज्ञात चोरों द्वारा सरिया सीमेन्ट चोरी कर लिया गया है। वादी की तहरीर पर थाना धानेपुर में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 त्रिपुरारी मिश्रा द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 07.11.2024 को थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर घटना कारित करने वाले अभियुक्त रमेश मिश्रा को मोफिया रोड़ स्थित पोल्ट्री फार्म के पास से तथा चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी मो0 शरीफ को उसके बग्गी रोड स्थित कबाड़ी की दुकान से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 07 अदद सरिया बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. रमेश मिश्रा पुत्र पवन मिश्रा नि0 ग्राम धर्मेई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. मो0 शरीफ पुत्र फते मोहम्मद नि0 ग्राम माफी मलारी सालपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–293/24, धारा 303(2),317(1) बीएनएस थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 07 अदद सरिया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 त्रिपुरारी मिश्रा।
02. हे0का0 मान सिंह।
03. हे0का0 आनन्द सिंह।
04. हे0का0 शाकिर अली।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट,
दिनांक 07.11.2024

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त मोहित वर्मा पुत्र लाखन वर्मा नि0 ग्राम कोल्हमपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 06.11.2024 की रात्रि थाना नवाबगंज के उ0नि0 राजीव कन्नौजिया मय हमराह फोर्स के साथ रात्रि गस्त में शांति व्यवस्था ड्यूटी हेतु रवाना थे कि प्राथमिक विद्यालय नगवा के पास एक व्यक्ति संदिग्ध दिखने पर रोक टोक कर चेक किया गया तो उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मोहित वर्मा पुत्र लाखन वर्मा नि0 ग्राम कोल्हमपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

पंजीकृत अभियोग–

01- मु0अ0स0–378/2024, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 राजीव कन्नौजिया।
02. का0 अतुल सिंह।
03. का0 अमित सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 07.11.2024

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से मारपीट करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को हुई 05 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 10,000/– रूपये अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम महोदया श्रीमती पूजा सिंह द्वारा मार–पीट करने के 03 आरोपी अभियुक्तों–01. अकरम पुत्र असलम उर्फ सुग्गालाल, 02. गोलू पुत्र जहूर, 03. जहूर पुत्र सकूर निवासीगण पतिसा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा को दोषसिद्ध किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 09.08.2016 को उक्त अभियुक्तगणों द्वारा वादी मुस्तकीम पुत्र मुस्ताक नि0 पतिसा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा व समीर को गाली–गुप्ता देते हुए मारा–पीटा था। जिससे समीर को गम्भीर चोटे आयी थी और व मौके पर ही बेहोश हो गया था। वादी की तहरीर पर थाना करनैलगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। तत्कालीन विवेचक नीरज कुमार सिंह द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें शासकीय अधिवक्ता श्री विनय कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर व थाना करनैलगंज के पैरोकार द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम महोदया द्वारा 05–05 वर्ष का साधारण कारावास व प्रत्येक को रु० 10,000/– रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी है।

अभियुक्तगण का नाम पता–

01. अकरम पुत्र असलम उर्फ सुग्गालाल निवासी पतिसा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. गोलू पुत्र जहूर निवासी पतिसा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
03. जहूर पुत्र खकूर निवासी पतिसा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–320/16 धारा 323,325,504,308 भादवि थाना करनैलगंज जनपद गोंडा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 07.11.2024

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लडके के साथ अप्राकृतिक दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/– रूपये के अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष पाक्सो एक्ट गोण्डा द्वारा दिनांक 27.02.2024 को थाना कटराबाजार में पंजीकृत मु0अ0सं0–55/2024 धारा 377 भादवि व 5एफ/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त–चार्ल्स लाल पुत्र जोसेफ लाल नि0 शान्तिनगर कटरा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को दोषसिद्ध किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

सेन्ट फ्रासिंस कब्रीनी इण्टर कालेज के गेट कीपर चार्ल्स लाल पुत्र जोसेफ लाल द्वारा स्कूल के ही एक नाबालिग छात्र के साथ अप्राकृतिक दुराचार किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना कटराबाजार में दिनांक 27.02.2024 को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। तत्कालीन विवेचक उ0नि0 सुनील कुमार द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें शासकीय अधिवक्ता श्री अशोक सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर व थाना कटराबाजार के पैरोकार द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष पाक्सो एक्ट गोण्डा श्री राजेश नारायण मणि त्रिपाठी द्वारा उक्त अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/– रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. चार्ल्स लाल पुत्र जोसेफ लाल नि0 शान्ति नगर कटरा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–55/24 धारा 377 भादवि व 5एफ/6 पाक्सो एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 07.11.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा छठ पूजा पर्व के दृष्टिगत थाना को0 नगर क्षेत्रांतर्गत खैरा भवानी मंदिर परिसर व घाट का स्थलीय निरीक्षण कर ड्यूटी पर लगे अधि0/कर्मचारीगणों को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश–

गोण्डा। आज दिनांक 07.11.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा छठ पूजा पर्व के दृष्टिगत थाना को0 नगर क्षेत्रांतर्गत खैरा भवानी मंदिर परिसर व घाट का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया गया। तत्पश्चात महोदय द्वारा छठव्रती महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुरूष/महिला पुलिस के जवानों की सतर्कता को परखा गया एवं सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस बल को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए कि छठव्रती महिलाओं के पूजन–अर्चन में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा उत्पन्न न हो, सदैव सतर्क रहते हुए ड्यूटी का निस्पादन करे जिससे किसी भी प्रकार की कोई घटना/दुर्घटना न घटित होने पाये। महोदय द्वारा घाट का भ्रमण कर प्रकाश एवं साफ–सफाई आदि की समुचित व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा परिसर में लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरों को चेक कर सम्बन्धित अधि0/कर्मचारीगणों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा श्रद्धालुओं/मंदिर कमेटी के सदस्यों से वार्ता कर बताया कि छठ पर्व के दृष्टिगत महिलाओं के पूजन–अर्चन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है पर्याप्त संख्या में पुरूष एवं महिला आरक्षियों की ड्यूटी लगायी गयी है। बालिकाओं/महिलाओं के साथ छेड़छाड की सम्भावना के दृष्टिगत सादे वस्त्रों में महिला/पुरूष जवानों के अतिरिक्त एण्टी रोमियों की टीम को भी लगाया गया है। स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न असामाजिक, अवांछनीय एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। महोदय द्वारा प्र0नि0 को0 नगर को बैरिकेटिंग, रूट चार्ट, पार्किंग व गोताखोरों की व्यवस्था व अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में विशेष दिशा–निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, प्रशिक्षु0 उपाधीक्षक उदित नारायण पालीवाल, प्र0नि0 मनोज कुमार पाठक सहित पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।